—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 85/2021

उनवान

1. गंगाराम पुत्र मल्ला जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. केला सिंह पुत्र हालु
2. कालू पुत्र गोपी
3. कोयली पुत्री दल्ला
4. गुलवा पुत्र मोती
5. गुलाब पुत्र मोती
6. गोपी पुत्र मोती
7. चम्पा पुत्री मल्ला
8. जमनी पुत्री जालू
9. जयसिंह पुत्र उगमा
10. धारा सिंह पुत्र हालू
11. नेहरू पुत्र हालू
12. पांचू पुत्र हालू
13. भागचन्द पुत्र उगमा
14. रामसिंह पुत्र मल्ला
15. लक्ष्मण सिंह पुत्र मल्ला
16. सीता पुत्री उगमा
17. सोहनी पुत्री हालनू
18. हालू पुत्र मोती समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कानाखेडी, नसीराबाद
19. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—: अप्रार्थीगण :— 1 से 3 व 5 से 18 जरियें अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान
4 अनुपस्थि, 19 जरियें राज. पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 6.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानाखेडी में स्थित हाल खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.44, 1067 रकबा 0.51 व 1068 रकबा 2.84 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा विभाजन करने से मना कर दिया है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में से अपने हिस्से का विक्रय लक्ष्मण सिंह व राम सिंह पि. मल्ला द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को कर दिया है। आराजी मुतनाजा बाबत एक राजस्व वाद कालू बनाम गोपी हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें विभाजन किया जाना शेष है। प्रार्थी ने समस्त तथ्यों को छिपाते हुये उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। पक्षकारों के मध्य एक सिविल वाद श्रीमान जिला न्यायाधीश अजमेर वर्तमान में नसीराबाद में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा के नामान्तकरण को रोकने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। आराजी मुतनाजा के विभाजन हेतु मूल वाद विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा में से अपने हिस्से का विक्रय लक्ष्मण सिंह व राम सिंह पि. मल्ला द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को कर दिया है। आराजी मुतनाजा बाबत एक राजस्व वाद कालू बनाम गोपी हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें विभाजन किया जाना शेष है। प्रार्थी ने समस्त तथ्यों को छिपाते हुये उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। पक्षकारों के मध्य एक सिविल वाद श्रीमान जिला न्यायाधीश अजमेर वर्तमान में नसीराबाद में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों का अंकन नही किया है। आराजी मुतनाजा संयुक्त खातेदारी की है जिस पर प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर हक व अधिकार निहित होता है। अप्रार्थी संख्या 14 व 15 ने दिनांक 20.09.21 को खसरा नम्बर 1068 में अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है। प्रकरण संख्या 56/213 कालू बनाम गोपी हाजा न्यायालय में विभाजन हेतु विचाराधीन है इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा नवीन वाद पेश किया है। पूर्व वाद में प्रार्थी प्रतिवादी पक्षकार है। पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिसका खण्डन भी प्रार्थी द्वारा नही किया गया है। अप्रार्थीगण रिकार्ड खातेदार है। विषम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested

—3

परिस्थितियों अतिरिक्त रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार है। प्रत्येक सह खातदेार को अविभाजित आराजी उपयोग–उपभोग करने का अधिकार है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

आदेश :– अतः ग्राम कानाखेडी की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:49 IST
Reason: SelfAttested